न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

करण संख्या 41/2025

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (अंता) (प्रार्थी)

बनाम

श्री नंद किशोर सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी निवासी अंता (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :— 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. माधोलाल सुमन एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 24.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी सीसवाली चौराहे के पास स्थित सैनी भोजनालय पर पहुंचा। मौके पर श्री नन्द किशोर सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी, निवासी अंता उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैद्य व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स अंता गैस सर्विस सेंटर अंता की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी सैनी भोजनालय के नाम से दुकान अंता सीसवाली चौराहे अंता में दुकान का संचालन करता है तथा प्रार्थी की दुकान अपने कब्जे एवं स्वामित्व के मकान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपने दुकान व्यवसायिक हेतु उपभोक्ता क्रमांक 877773438 व्यवसायिक दो गैस सिलेण्डर 19 के.जी. के आवंटित करवाये हुए है, तथा प्रार्थी अपनी दुकान में उपयोग में हमेशा उक्त व्यवसायिक सिलेण्डरो का उपयोग करता है तथा उक्त अवधि दौरान प्रार्थी के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की गैस खत्म हो जाने व गैस डीलर द्वारा समय पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर नहीं भेजने के कारण प्रार्थी को मजबूर ग्राहको को खाना खिलाने के लिये घरेलू गैस कनेक्शन का उपयोग किया था। इसमें प्रार्थी/उत्तरदाता की कोई गलत मंशा नहीं रही है। वक्त निरीक्षण घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग का गलत रूप से मानते हुए यह उक्त कार्यवाही करके यह नोटिस दिलवाया गया है, इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध की गयी उपरोक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा कर तथा ... को खाली गैस सिलेण्डर को लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

दिनांक 05.12.2024

जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक र्थी अनुपस्थित रहने पर हमने बहस एकपक्षीय पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर करण का निस्तारण किया जाने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 2 गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने स्वंय प्रस्तुत जवाब में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(1) 505508S, BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(2) 046142T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि 2 गैस सिलेण्डर की कुल 5000/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स अन्ता गैस सर्विस सेंटर अंता को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:55 IST
Reason: SelfAttested